भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

\*\*\*\*\*

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1114

23 मार्च, 2012 के लिए प्रश्‍न

**विषय : पश्चिमी बंगाल में किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किया जाना ।**

**1114 प्रो0 सैफुद्दीन सोज :**

क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृ‍पा करेंगे कि :

(क) : क्‍या यह सच है कि हाल के महीनों में पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों, छोटे व्‍यापारियों और अन्‍यों द्वारा आत्‍महत्‍या किए जाने की कई घटनाएं घटी हैं ; और

(ख) : यदि हां, तो इस संबंध में क्‍या उपचारात्‍मक उपाय किए गए हैं ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉ0 चरण दास महन्‍त)**

1. **और (ख) :** पश्‍चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या से संबंधित सूचना अनुपालन की प्रक्रिया में है ।
2. **से (ड.) :** राज्‍य को कोई विशेष पैकेज देने की कोई योजना नहीं है । सरकारने कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार और देश के किसानों की स्थिति‍ में सतत सुधार के लिए विभिन्‍न उपाय किए हैं जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:
3. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्‍कीम 2008 का कार्यान्‍वयन जिससे अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65318.33 करोड़ रू0 की ऋण माफी/राहत सहित 3.69 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है ।
4. कृषि क्षेत्र को मार्च, 2011 तक 468291.28 करोड़ रू0 के ऋण प्रवाह बढ़ाना । वर्ष 2011-12 हेतु ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 475000 करोड़ रू0 तक बढ़ा दिया है जिसकी तुलना में नवम्‍बर, 2011 तक 294023 करोड़ रू0 की उपलब्धि प्राप्‍त हुई है ।
5. समयबद्ध तरीके से सभी पात्र एवं इच्‍छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करना ताकि किसानों को ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान की जा सके और वित्‍तीय समग्रता को बढ़ाया जा सके । अक्‍तूबर, 2011 तक 10.78 करोड़ केसीसी जारी किए गए हैं ।
6. 3 लाख रू0 तक के फसल ऋण का समय पर भुगतान के लिए ब्‍याज दर छूट का प्रावधान करना जिससे इस प्रकार के किसान जो अपना फसल ऋण समय पर चुकाते हैं के लिए प्रभावी ब्‍याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाएगी ।
7. फसल पूर्व ब्‍याज दर छूट का यह लाभ छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उपलब्‍ध है जिनके पास केसीसी हैं एवं उनके लिए उनके लिए वेयर हाउस में उनके उत्‍पाद को रखने के लिए नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट के सम्‍मुख फसल ऋण की उसी दर पर फसलोपरान्‍त छह माह के लिए उपलब्‍ध है ।
8. प्रत्‍येक वर्ष चिन्‍हित कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की घोषणा ताकि किसानों को उचित मूल्‍य दिलाए जा सके और किसानों की आय में वृद्ध‍ि की जा सके । प्रमुख कृषि जिन्‍सों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 के दौरान महत्‍वपूर्ण वृद्ध‍ि हुई है, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्ध‍ि की रेंज मूंगफली के मामले में 80 प्रतिशत से लेकर दलहन (मूंग) के लिए 148% है ।

भारत सरकार द्वारा किए गए अन्‍य उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरता प्रबंधन आदि जैसी विभिनन स्‍कीमों के कार्यान्‍वयन के माध्‍यम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना शामिल है ।

\*\*\*\*